

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

लक्ष्मण राम vs राम कान्त

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 204 / 2024

-::आदेश ::-

दिनांक :- 8/10/2024

प्रार्थी लक्ष्मण राम पुत्र श्री शुभा राम

जाति कांकी निवासी रवेण्डा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम रवेण्डा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 487 में दर्ज अशुद्ध नाम लक्ष्मण राम पुत्र शुभा राम जाति कांकी निवासी रवेण्डा का शुद्ध नाम लक्ष्मण राम पुत्र शुभा राम जाति कांकी निवासी रवेण्डा की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 2 में अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Wd
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा